

उपस्थित/अपस्थित पक्षों को लोक अदालत/केम्प कोर्ट में रिफर किया जाता है। पक्ष सहमत है अतः प्रकरण को लोक अदालत में रिफर किया जाता है पक्षकारान दिनांक 7-6-17 को केम्प कोर्ट/लोक अदालत समक्ष उपस्थित रहें।

ए.सी.इ.एम.(FT)
जोधपुर

7/6/17

पक्षधारी आल सुभाष केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भटिण्डा पेश हुई। प्रकरण के पक्षकारों को अपीलित। प्रकरण के अन्तर्गत पक्षकारों को सुना गया तथा पक्षधारी का अवलोकन किया गया।

दुर्गावतम प्रस्तुत प्रकरण की शर्तों को लेकर हीमो पक्षों के विचार एक नमूना है जिस कारखाने की मशीन पर उद्योगिक उपकरण से खसकी है। अतः रिकॉर्ड में हीमो की प्रतिकारण को एवं प्रकरण की अर्थवृद्धि मित्रेयाद्धा है।

ला
केशव
6/1/2017
मन्नालाल
सुरेकांत
का.सु.219
कनायम

(नरपत राज जैन)
सरपंच
ग्राम पंचायत, भटिण्डा
चं. स. लूणी

राज्याधीन

लाफेसला मूल वाद साबित किया जाना है कि जो मशीन व शोषण रिपोर्ट की अध्यादेशों बनाए रखेंगे। तथा किसी भी प्रकार का आगे नैदान, दस्तावेज, निर्माण आदि नहीं करेंगे।

LTR
जोधपुर
पञ्चपालसिंह

आदेश आज दिनांक 7-6-2017 को सुभाष केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भटिण्डा और आल सुभाष उच्चाधिकारी सुभाष कुमार वगैरह मजबूत के साथ हीमो मूल पक्षधारी के साथ केम्प कोर्ट में



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर

26/6/17